मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग

निर्वाचन भवन, द्वितीय मंजिल,
58 अरेरा हिल्स, भोपाल– 462 011

<u>अपील कमांक ए–236/रासूआ/1 (1)/2006/रीवा</u>

श्री के0बी0श्रीवास्तव **अपीलकर्ता**
41/225, बिछिया,पुलिस चौकी के पीछे
रीवा

विरूद्ध

श्री यू0एस0तिवारी, **लोक सूचना अधिकारी**
अनुविभागीय अधिकारी, कृषि,
रीवा

(आदेश दिनांक 31 जुलाई, 2006)

श्री के0बी0श्रीवास्तव (अपीलकर्ता) ने यह अपील लोक सूचना अधिकारी के पत्र कमांक स्था. सू.स.अ./05–06/930 दिनांक 5 नवम्बर, 2005 और अपील अधिकारी के पत्र कमांक डी–10/सू.स.अ./05–06 दिनांक 19 जनवरी, 2006 से अंसतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम (अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत की है ।

2. अपीलकर्ता ने लोक सूचना अधिकारी को दिनांक 22 अक्टूबर, 2005 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होने 1 से 11 बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी । लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्र कमांक स्था/सूसअ/05–06/930 दिनांक 5..11. 05 से अपीलकर्ता को सभी बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की थी । अपीलकर्ता ने इस जानकारी से संतुष्ट न होते हुये अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें प्रथम अपील अधिकारी ने यह निर्देश दिये कि 1 से 12 तक के बिंदुओं पर बिन्दुवार जानकारी तैयार करके उत्तर प्रदान किया जाये और जिन बिन्दुओं पर कार्यवाही होना शेष है, उन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाये । इसके साथ ही साथ उन्होने बिन्दु कमांक 9, 10 और 11 व्दारा चाही गई जानकारी की प्रमाणित प्रतियां एक सप्ताह के अन्दर अपीलीय अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिससें इसे अपीलकर्ता को उपलब्ध कराया जा सके ।

3. लोक सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के निर्देशों का पालन करते हुये पत्र क्रमांक स्था/05–06/1183 दिनांक 24.2..2006 के व्दारा बिन्दु क्रमांक 9 से 11 के संबंध में जानकारी उप संचालक, कृषि एवं अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की थी और साथ में संबंधित अभिलेखों की सत्य प्रतियां प्रमाणित करते हुये भी भेजीं ।

4. इस प्रकरण में दिनांक 31 जुलाई, 2006 को सुनवाई की गई । अपीलकर्ता श्री के0बी0श्रीवास्तव, लोक सूचना अधिकारी श्री यू0एस0तिवारी, अपीलीय अधिकारी श्री के0पी0पाण्डे उपस्थित हुये । इसमें सभी पक्षों को सुना गया । लोक सूचना अधिकारी के व्दारा जो बिन्दु क्रमांक 1 से 9 तक जानकारी प्रदान की गई है, उसके संबंध में कोई विवाद नही है । विवाद केवल अपीलकर्ता व्दारा बिन्दु क्रमांक 9 से 11 के संबंध में जानकारी प्रदान करने के संबंध में है । बिन्दु क्रमांक 9 से 11 निम्नानुसार है :–

''**9.** आयुक्त रीवा द्वारा संचयी प्रभाव से बंद एक वेतनवृद्धि को (मेरी प्रतिनियुक्ति अवधि में) कृषि विभाग के मेरे वेतनमान में प्रभावशील करने या न करने का निर्णय लेने का अधिकार केवल संचालक कृषि को है और संचालक कृषि उसे कृषि विभाग के मेरे वेतनमान में प्रभावशील करने के लिए आज भी सहमत नहीं हैं तो आपने फिर किसके आदेश से उस बंद वेतनवृद्धि को कृषि विभाग के मेरे वेतनमान में मेरे बार–बार विरोध के बावजूद, प्रभावशील करके मुझे वित्तीय हानि पहुंचाया जबकि आपको ऐसा स्वयं करने का अधिकार ही नहीं था ।

10.. आपके द्वारा प्रस्तुत देयक (ऐरियर का) क्रं0–89 दिनांक 2.6.04 में संलग्न गणना–पत्रक में दर्शाए गए सभी माहों के ''पूर्व में भुगतान हो चुका वेतन–भत्ता'' के आहरण का ट्रेजरी व्हाउचर नं0 एवं दिनांक सहित पे–डेट की अभिप्रमाणित छायाप्रति दिलाई जावे एवं उस गणना–पत्रक में जून 83 से 2.2.88 तक की अवधि के लिए जो वेतन भत्ता ''पूर्व में भुगतान हो चुका'' बताया गया है, उसका –

ए– आहरण कब व किसके द्वारा किया गया है ?

बी– उस आहरित धनराशि का भुगतान कब,किसे व किसके द्वारा किया गया है ?

इसके अलावा उपरोक्त गणना पत्रक के अनुसार जो मुझसे वसूली होनी थी,उसका भुगतान किया गया है–स्थिति स्पष्ट करें ।

11. श्री उमाशंकर तिवारी,अनुविभागीय कृषि अधिकारी रीवा को सम्प्रेषित मेरे पत्र दिनांक 19.5.05 की कण्डिका क्रमांक एक,दो,तीन द्वारा मेरे द्वारा चाहे गए सभी के सभी रिकार्ड्स की अभिप्रमाणित प्रतियां दिलाने की कृपा करें । ''

5. बिन्दु क्रमांक 9.और 10 में अपीलकर्ता व्दारा कोई जानकारी नही मांगी गई है बल्कि कुछ प्रश्न उठाये हैं । सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रश्न के उत्तर

देने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का नही है इस पर भी लोक सूचना अधिकारी ने जो जानकारी उपलब्ध कराना संभव थी वह अपने पत्र, जिसका उल्लेख उपर किया गया है, के व्दारा प्रदान कर दी है । इसलिए इन दोनों बिंदुओं पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । बिन्दु कमांक 11 में उन्होने श्री यू0एस0तिवारी अनुविभागीय अधिकारी, कृषि , रीवा को 19.5.06 को भेजे गए की कंडिका 1, 2, 3 में चाहे गये अभिलेख की अभिप्रमाणित प्रतियां मांगी गई । इस पत्र की प्रति आवेदन के साथ नही लगाई गई है इसलिये यह कहना मुश्किल है कि कौन सी जानकारी मिल गई है, फिर भी लोक सूचना अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की ।

6. लोक सूचना अधिकारी ने इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही करके अपीलकर्ता को उत्तर दिया है और यह उल्लेखित किया है कि अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर ही जानकारी दी जा सकती है । संबंधित पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न न होने के कारण यह समझना कठिन है कि अपीलकर्ता को कौन सी जानकारी चाहिये । अतः लोक सूचना अधिकारी ने अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतुं आवेदन दें । यदि किसी पत्र के सन्दर्भ में कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो उस पत्र की प्रति लगाना आवश्यक होता है । आवेदक को केवल उन्हीं बिंदुओं पर जानकारी दी जा सकती है जो उल्लेखित है या आवेदन में जो संलग्नक लगाया गया हो, उसमे उल्लेखित हो । बिंदु कमांक 11 के संबंध में अनुविभागीय कृषि अधिकारी को लिखे गए पत्र की प्रति नहीं लगाई है । इसलिए यह जानकारी नहीं दी जा सकती है ।

7. इस प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उप संचालक, कृषि जो अपीलीय अधिकारी है उन्होने जिन बिन्दुओं पर अपीलकर्ता ने जानकारी मांगी है उसका समग्र रूप से अध्ययन न करते हुये निर्देश प्रसारित किये हैं । उनके पत्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि उन्होने सूचना का अधिकार अधिनियम का बिना अध्ययन किये हुये ही लोक सूचना अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कृषि को निर्देश प्रसारित किये हैं । उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से अध्ययन करे और यह देखें कि किन बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान कराने का दायित्व लोक सूचना अधिकारी का है और उसके बाद ही उन्हें अपील में निर्देश प्रसारित करना चाहिये ।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील अमान्य की जाती है ।

(टी0एन0श्रीवास्तव)
मुख्य सूचना आयुक्त